१६७७

हाई स्कूल

एस० ए० इन्टर कालेज, खपराडिह, (फैजाबाद)

(विद्यालय अथवा केन्द्र का नाम)

क्रमांक १६८ दिनांक ८-८-७७

परिषद द्वारा अनियमित १९७७ की हाई स्कूल परीक्षा में [illegible] परीक्षार्थी के रूप में पंजीकृत

परीक्षक मिलन सिंह अनुक्रमांक [illegible] द्वारा कापियों का निरीक्षण

की गई तथा उन्हें

परीक्षार्थी द्वारा लिए गए विषयों के नाम	विषयवार लिए निर्धारित अंक	प्रथम श्रेणी-पत्र	द्वितीय श्रेणी-पत्र	तृतीय श्रेणी-पत्र	अंकों में श्रेणी-पत्र	योग	विशेषांक लिए: प्रथम	द्वितीय	योग	कुल योग	परीक्षक द्वारा दी गई अन्तिम संस्तुति
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०*	११	१२
१-हिन्दी	१००	१८	१४	१५		४७				४७	उत्तीर्ण घोषित द्वितीय श्रेणी
२-गणित / अनिवार्य गणित / सामान्य गणित	१००	३०	३४			६४				६४	विशेष योग्यता
३- [illegible]	१००	३५	१३			४८	१३			६१	अनुत्तीर्ण
४- [illegible]	२००	३८	३८			७६	११			८७	
५- [illegible]	२००	३८	३५			७३				७३	
६-											अन्य परिनिरीक्षण का अधिकारी है

सम्पूर्ण प्रायोगिक कार्यों में [illegible] (अंकों में) [illegible]

उत्तरपुस्तिका परीक्षण के सम्बन्धमें कुछ आवश्यक सूचनाएं

(१) प्रत्येक विषय का न्यूनतम उत्तीर्णांक ३३ % है। जिन विषयों में निर्धारित कुल क्रियात्मक परीक्षा के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक क्रियात्मक परीक्षा (Practicals) के निर्धारित है, उनमें परीक्षार्थी को उत्तीर्ण होने के लिये दोनों में अलग-अलग [illegible] अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।

(२) विशेष योग्यता पाने के लिये किसी विषय के सम्पूर्ण पाठ्यक्रम दोनों में कुल मिलाकर न्यूनतम ६०, ७५ तथा ९० प्रतिशत होना चाहिये।

(३) प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी होने के लिये सम्पूर्ण योग फल में कम से कम क्रमशः ६०, ७५ तथा ९० प्रतिशत होना चाहिये।

(४) यदि कोई परीक्षार्थी सम्पूर्ण परीक्षा में अनिवार्य हुआ है तथा केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण है तो वह पुनः परीक्षा का अधिकारी है।

(५) पुनः परीक्षा के लिए घोषित होने वाले सभी परीक्षार्थी अन्य परिनिरीक्षक के अधिकारी नहीं होंगे। केवल वे परीक्षार्थी जो केवल एक विषय में २० प्रतिशत अथवा उससे अधिक अन्तर आने पर अनुत्तीर्ण घोषित किये गये हैं, पुनः परीक्षा के अधिकारी [illegible] के बाद ही अन्य परिनिरीक्षक के अधिकारी हो होंगे। उनकी उत्तरपुस्तिकाओं का परिनिरीक्षण किसी मुख्यक के ही किया जायगा, अन्य उन्हें परीक्षा पुनः जाँच करने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी दशा में इसके लिए पुनः अन्य-पत्र होने की परीक्षार्थी आवश्यक।

(६) जो परीक्षार्थी पुनः परीक्षा के अधिकारी होने हुए भी अन्य परिनिरीक्षक के अधिकारी नहीं होंगे तथा अनुच्छेद (५) में अंकित परिस्थितियों को छोड़ कर शेष परीक्षार्थी जो पुनः देकर अनुत्तीर्ण उत्तरपुस्तिकाओं का परिनिरीक्षण करना चाहते हैं। इसके लिए [illegible] विद्यालय के प्रधानाचार्य अथवा केन्द्र व्यवस्थापक के निर्धारित प्रपत्र-पत्र लेकर तथा उसकी पूर्ति करके निर्धारित शुल्क के ट्रेजरी चालान सहित परिनिरीक्षक के पास। परिनिरीक्षक प्रार्थना-पत्र एवं चालान के प्राप्त होने की अन्तिम तिथि पर पुनर्मूल्यांकन के लिए [illegible] के सम्बन्ध होने वाले परिवर्तनों को स्वीकार नहीं किया जायगा। यदि परिनिरीक्षक के लिए निर्धारित अवधि तक प्रार्थना-पत्र न दिये जायें, तो फल घोषित होने के बाद ही अपना पुनः निरीक्षण होने हुये निर्धारित शुल्क के चालान के साथ प्रधानाचार्य अथवा केन्द्र व्यवस्थापक के माध्यम से परिनिरीक्षक के आदेश की प्रतीक्षा करनी चाहिए।

(शेष पृष्ठ पर देखिये)